



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  
INSURANCE REGULATORY AND  
DEVELOPMENT AUTHORITY

(बीमा दलाल) विनियम, 2013  
(Insurance Brokers) Regulations, 2013

फार्म बी  
(विनियम (5 और 15) देखें)  
FORM B  
(See Regulations 5 & 15)

लाइसेंस  
LICENCE

लाइसेंस संख्या:

Licence No. ....607.....


1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा  
से. एडिफाय इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत .....प्रत्यक्ष.....दलाल  
(श्रेणी के विवरण का उल्लेख करें) के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है।

*In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act 1938(4 of 1938) the Authority hereby grants a licence to  
M/S. EDIFY INSURANCE BROKERS PRIVATE LIMITED to act as DIRECT broker under the Act.*

2. उक्त बीमा दलाल के लिए लाइसेंस कूट है ...IRDA/DB.687/16.....  
Licence Code for the Insurance broker is ...IRDA/DB.687/16.....
3. यह लाइसेंस 11-07-2017 से 10-07-2020 तक वैध होगा।  
This licence shall be valid from 11-07-2017 to 10-07-2020.
4. यह लाइसेंस, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल)विनियम,  
2013 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियम और विनियम के अनुसार अथवा उनके अनुरूप है  
This licence is subject to the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and  
Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013 and shall not be construed to be in compliance with or in  
conformity to any other Act, Rules or Regulations.

स्थान: हैदराबाद  
Place: Hyderabad  
दिनांक:  
Date: 11-07-2017

आदेशानुसार  
By Order

  
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से  
For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority